झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–म0नि0-II-उ0यो0-88/2021-22/ 36 कृषि/मत्स्य, राँची, दिनांक 21-01-22

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय– राज्य योजना अन्तर्गत नई योजना **"केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना"** का कुल मो0 904.24 लाख (नौ करोड़ चार लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल मो0 599.94 लाख (पाँच करोड़ निन्यानवे लाख चौरानबे हजार) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में राज्य योजना अन्तर्गत **केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना** की मो0 904.24 लाख (नौ करोड़ चार लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल मो0 599.94 लाख (पाँच करोड़ निन्यानवे लाख चौरानबे हजार) रूपये मात्र का व्यय किया जाएगा एवं शेष राशि का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु मो0 600.00 लाख (छः करोड़) रूपये का योजना उद्व्यय निर्धारित है तथा इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 599.94 लाख (पाँच करोड़ निन्यानवे लाख चौरानबे हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना				
क्र0	लघु शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	**101–अन्तर्देशीय मछली पालन** 53-S-2405–00–101–66–01–0323	03–प्रशासनिक व्यय 23–आपूर्ति एवं सामग्री	300.00	299.97
2	**796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना** 53-S-2405–00–796–66–01–0323	03–प्रशासनिक व्यय 23–आपूर्ति एवं सामग्री	300.00	299.97
		कुल योग:	**600.00**	**599.94**

कुल मो0 599.94 लाख (पाँच करोड़ निन्यान्वे लाख चौरानबे हजार) रू0 मात्र।

Scanned by CamScanner

4. राज्य के वैसे सभी खदान जिनमें मछली पालन की संभावना है, उनमें केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन करने तथा स्थानीय ग्रामीणों/विस्थापितों की आय में बढ़ोत्तरी हेतु निम्न शर्तों के साथ राज्य योजना अन्तर्गत यह योजना स्वीकृत की गई है –

i. केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण में प्रथम चरण में मुख्यतः खदानों एवं कुछ जलाशयों में केज कल्चर द्वारा मछली पालन किया जायेगा।

ii. खदानों तथा जलाशयों में केज कल्चर में मुख्यतः G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल अथवा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। दिनांक 07.07.2021 को सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक 878 दिनांक 19.07.2021 द्वारा निर्गत है, में जिला मत्स्य पदाधिकारियों की अनुशंसा अनुसार खदानों में बड़े केज अर्थात् 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी से बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा क्योंकि वहाँ घुलनशील ऑक्सीजन जलाशयों की तुलना में कम होता है। साथ ही बड़े केज होने से पानी का बहाव बेहतर होगा।

iii. **खदानों का चयन –**

1. जिनका क्षेत्रफल ज्यादा हो।
2. पहुँच पथ हो तथा आबादी के नजदीक हो।
3. मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो अथवा स्थानीय लाभुक अपना अंशदान लगाने के इच्छुक हों।

iv. **लाभुकों का चयन –** लाभुकों का चयन जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निम्न शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :–

1. लाभुकों के चयन में खदानों/जलाशयों के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. यदि खदान के उपयोग हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो तो उसके सदस्य हो।
3. खदान के आस–पास के निवासी हों।
4. लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो।
5. मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है।
6. एक बैटरी में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं।

5. **केज अधिष्ठापन –**

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,87,850/– रु0 मात्र तथा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,67,350/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन्हीं उपलब्ध प्राक्कलनों को ध्यान में रखते हुए दोनों आकार के केज बैटरी अधिष्ठापन हेतु अधिकतम मो0 3,60,000/– रु0 मात्र प्रति केज–बैटरी की दर निर्धारित की गई है।

(ii) निदेशक मत्स्य द्वारा उपरोक्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध दोनों प्रकार के केज बैटरी की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु समाचार पत्रों में "इच्छा

Scanned by CamScanner

की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित करते हुए केज अधिष्ठापन का न्यूनतम दर निर्धारित किया जाएगा तथा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया जायेगा।

(iii) केज का अधिष्ठापन लाभुक द्वारा उपर्युक्त कंडिका (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।

(iv) ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में निर्धारित प्रति केज–बैटरी की प्रस्तावित दर एवं मो0 3,60,000/– रू0 मात्र में जो कम होगी उसी पर 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। खदानों तथा जलाशयों के विस्थापितों/आवेदकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज अधिष्ठापन में 90 प्रतिशत अनुदान की स्वीकृति दी जाती है।

(v) केज अधिष्ठापन उपरांत किये गये कार्य के अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा आवश्यक अनुदान की राशि प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कार्य एजेन्सियों को भुगतान की जायेगी।

6. केज में इनपुट –

(i) विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त उल्लिखित दोनों प्रकार के केज–बैटरी हेतु इनपुट के लिए राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत (अधिकतम मो0 2,00,000/–रू0) होंगे तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

(ii) इनपुट की राशि लाभुकों के बैंक खाते में तीन किस्तों में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

(iii) लाभुक के द्वारा इनपुट यथा समुचित संख्या में मत्स्य बीज (प्रति बैटरी कम से कम 12000 मत्स्य बीज) संचयन के उपरांत एवं मानक कम्पनियों के 2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फिश फीड तथा आवश्यकतानुसार 4 mm फ्लोटिंग फिश फीड के GST सहित अभिश्रव प्रस्तुत करने अथवा झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से 4 mm फ्लोटिंग फिश फीड के क्रय पर ही इनपुट की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

(iv) फिश फीड के क्रय की भौतिक सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों की होगी।

(v) केज बैटरी हेतु आवश्यक कुल इनपुट के विरूद्ध प्रति केज बैटरी मो0 21,000/–रू0 मात्र की दर से चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उपर्युक्त कंडिका 6 (i) के विरूद्ध इनपुट की शेष आवश्यक राशि हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

7. केज मत्स्य पालकों को नाव – केज मत्स्य पालकों को नाव भी उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत सामान्य नाव हेतु स्वीकृत दर के अनुरुप ही केज लाभुकों को दिये जाने वाले नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/– (तैंतीस हजार) रु0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम 30,000/– (तीस हजार) रु0 प्रति नाव होगी। शेष राशि लाभुकों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

8. **केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट** – केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें MMD Approved, 16.5 kilos Floatability तथा 80 X 37 X 10 Cms Size के Soft neopolene foam & airex filling का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में निदेशक मत्स्य द्वारा लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 1792/– रुपये है। जबकि पूर्व आकलित दर 1600/– रुपये है। अतएव वित्तीय वर्ष 2021–22 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत इसी कार्य हेतु पूर्व आकलित दर 1600/– रुपये पर ही स्वीकृत 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1200/– रु0 मात्र) की दर से देय होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का अपना होगा।

9. योजना का अनुश्रवण त्रिस्तरीय होगा। प्रथमतः क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी स्थल निरीक्षण/परियोजना निरीक्षण करते हुए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

निरीक्षण का द्वितीय स्तर जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा एवं निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तरीय उप मत्स्य निदेशक/सहायक मत्स्य निदेशकों से औचक निरीक्षण कराया जाएगा।

10. क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस कार्य हेतु राशि विमुक्त की जा रही है उसका व्यय उन्ही कार्यों में किया जाय।

11. योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिए जिलावार/लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी **परिशिष्ट–I** एवं **II** के रूप में संलग्न है।

12. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो **परिशिष्ट–I** एवं **II** में जिलावार अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

13. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार होंगे।

14. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

15. यह योजना एक नई योजना है एवं इसके अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है।

Scanned by CamScanner

16. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

17. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

18. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

19. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव तथा प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है :–

I. स्वीकृत्यादेश की कंडिका–5 में वर्णित न्यूनतम दर का निर्धारण स्थापित नियमों के अन्तर्गत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाए।

II. व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।

III. किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।

21. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

23. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 36 स्व०(वि०) मत्स्य / राँची, दिनांक 21-01-2022

प्रतिलिपि – संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक 36 ग॰(वि॰) मत्स्य / रॉंची, दिनांक 21-01-2022

प्रतिलिपि– योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, रॉंची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 36 ग॰(वि॰) मत्स्य / रॉंची , दिनांक 21-01-2022

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त के सचिव, झारखण्ड, रॉंची एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन अन्तर्गत खदानों एवं जलाशयों में केज कल्चर द्वारा मछली उत्पादन हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

कम	जिला का नाम	खदान/ जलाशय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री — खदानों में मछली पालन — केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु कुल इनपुट	केज बैटरी हेतु इनपुट (वित्तीय वर्ष 2021–22)	केज बैटरी इनपुट (वित्तीय वर्ष 2022–23)*	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्वीकृत कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	हजारीबाग	खदान	15	48.60	36.00	3.15	32.85	4	1.20	15	0.180	85.98	53.13
2	रामगढ	खदान	12	38.88	28.80	2.52	26.28	2	0.60	12	0.144	68.42	42.14
3	चतरा	खदान	8	25.92	19.20	1.68	17.52	2	0.60	8	0.096	45.82	28.30
4	धनबाद	खदान	10	32.40	24.00	2.10	21.90	2	0.60	10	0.120	57.12	35.22
5	पलामू	खदान	8	25.92	19.20	1.68	17.52	2	0.60	8	0.096	45.82	28.30
6	गढवा	जलाशय	8	25.92	19.20	1.68	17.52	2	0.60	8	0.096	45.82	28.30
7	देवघर	जलाशय	24	77.76	57.60	5.04	52.56	5	1.50	24	0.288	137.15	84.59
	कुल		85	275.40	204.00	17.85	186.15	19	5.70	85	1.020	486.120	299.970

(नोट–*केज बैटरी इनपुट की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट उपबंध प्राप्त कर व्यय की जाएगी। कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

मो0 दो करोड़ निन्यान्वे लाख सन्तानवे हजार रु0 मात्र

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

राज्यादेश सं०- 36 (रा०वि०), दि० - 21-01-2022

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट II

वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना अन्तर्गत खदानों एवं जलाशयों में केज कल्चर द्वारा मछली उत्पादन हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

कम	जिला का नाम	खदान/जलाशय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री										
			खदानों में मछली पालन									कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्वीकृत कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु कुल इनपुट	केज बैटरी हेतु इनपुट (वित्तीय वर्ष 2021–22)	केज बैटरी इनपुट (वित्तीय वर्ष 2022–23)*	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट			
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राँची	जलाशय	12	38.88	28.80	2.52	26.28	3	0.90	12	0.144	68.724	42.444
2	चाईबासा	खदान	20	64.80	48.00	4.20	43.80	4	1.20	20	0.240	114.240	70.440
3	सरायकेला	जलाशय	30	97.20	72.00	6.30	65.70	6	1.80	30	0.360	171.360	105.660
4	दुमका	खदान	12	38.88	28.80	2.52	26.28	3	0.90	12	0.144	68.724	42.444
5	पाकुड़	खदान	11	35.64	26.40	2.31	24.09	3	0.90	11	0.132	63.072	38.982
	कुल		**85**	**275.40**	**204.00**	**17.85**	**186.15**	**19**	**5.70**	**85**	**1.020**	**486.120**	**299.970**

(नोट–*केज बैटरी इनपुट की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट उपबंध प्राप्त कर व्यय की जाएगी। कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

मो0 दो करोड़ निन्यान्वे लाख सन्तानवे हजार रू0 मात्र

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

सं0 - 36 टी0(वि0), 21-01-22

Scanned by CamScanner